

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3052
उत्तर देने की तारीख 18.12.2025

जनजातीय कल्याण योजनाओं के अंतर्गत निधि

3052. श्री सुनील बोस:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्यशील सभी स्वायत्त और गैर-स्वायत्त संगठनों की सूची क्या है;

(ख) कौशल एवं उद्यमिता विकास, सावधि ऋण, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई), आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई), सूक्ष्म ऋण योजना (एमसीएस), जनजातीय वनवासी सशक्तिकरण योजना और जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (टीआरआईएफडी) द्वारा सूचीबद्ध अनुसूचित जनजाति के कारीगरों को दी गई सहायता जैसी योजनाओं के अंतर्गत राज्य चैनलिंग एजेंसियों (एससीए) को वितरित निधि का ब्यौरा क्या है और प्रत्यक्ष लाभार्थियों की कर्नाटक सहित संख्या, राज्य-वार कितनी है;

(ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) द्वारा वित्तपोषित देश भर में सफल मानी गई उक्त परियोजनाओं की कर्नाटक सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) और एकलव्य मॉडल डे सोसाइटी की संख्या कितनी है; और

(ड.) देश में नामांकित छात्रों की संख्या कितनी है और अब तक लाभान्वित हुए कुल छात्रों की कर्नाटक सहित राज्य-वार विशेषकर कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उडके)

(क) जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन:

- i. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)

ii. राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस)

जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत गैर-स्वायत्त संगठन:

i. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)

ii. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)

(ख) और (ग) पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान एनएसटीएफडीसी द्वारा एससीए को वितरित निधियों और एनएसटीएफडीसी की योजनाओं जैसे सावधि ऋण (टर्म लोन), आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई), आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई) और सूक्ष्म ऋण योजना (एमसीएस) के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभार्थियों की संख्या का कर्नाटक सहित राज्य-वार विवरण, अनुलग्नक में दिया गया है। कर्नाटक राज्य सहित पूरे देश में एनएसटीएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की सफलता की कुछ कहानियां [https://nstfdc.tribal.gov.in/\(S\(3gwil13ratte2y5nojjmjwih\)\)/frm_success_Details.aspx?id=20](https://nstfdc.tribal.gov.in/(S(3gwil13ratte2y5nojjmjwih))/frm_success_Details.aspx?id=20) पर दी गई हैं।

(घ) और (ड.) राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) देश भर में कार्यरत कुल 485 ईएमआरएस की निगरानी कर रही है। पिछले 3 सालों में ईएमआरएस में कर्नाटक सहित राज्य-वार नामांकन निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	7087	8810	9891
2	अरुणाचल प्रदेश	290	451	734
3	असम	0	0	एनआर
4	बिहार	0	0	एनआर
5	छत्तीसगढ़	19123	21943	24767
6	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	238	300	346
7	गुजरात	10985	11066	11525
8	हिमाचल प्रदेश	673	794	902
9	जम्मू और कश्मीर	294	577	900
10	झारखंड	3201	3202	3257
11	कर्नाटक	4185	4236	4523

12	केरल	697	862	969
13	लद्दाख	0	0	
14	मध्य प्रदेश	24281	23084	25056
15	महाराष्ट्र	8048	9010	10092
16	मणिपुर	1440	1435	1440
17	मेघालय	0	0	
18	मिजोरम	1250	1197	1892
19	नागालैंड	681	712	744
20	ओडिशा	8495	9625	11530
21	राजस्थान	8222	8375	9603
22	सिक्किम	1131	1254	1248
23	तमिलनाडु	2488	2226	2490
24	तेलंगाना	7113	8194	9282
25	त्रिपुरा	1984	1994	2094
26	उत्तर प्रदेश	617	652	890
27	उत्तराखंड	752	963	1105
28	पश्चिम बंगाल	0	2879	3056
	कुल योग	113275	123841	138336

**18.12.2025 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3052 के उत्तर के भाग (ख) और (ग) में संदर्भित अनुलग्नक
एनएसटीएफडीसी योजनाओं के तहत निधिसंवतरण और लाभार्थी - 2020-21**

(राशिलाखमें)

क्र. सं.	राज्य का नाम	सावध ऋण		एमसीएफ		एमएसवाई		एसआरवाई		कुल	
		राश	लाभार्थी की सं.	राश	लाभार्थी की सं.	राश	लाभार्थी की सं.	राश	लाभार्थी की सं.	राश	लाभार्थी की सं.
1	आंध्र प्रदेश			5022.24	12533					5022.24	12533
2	अरुणाचल प्रदेश	794.53	224	175.99	211					970.52	435
3	असम	5.00	2							5.00	2
4	छत्तीसगढ़	195.76	235					1.73	1	197.49	236
5	गुजरात	1440.90	8230					1.13	0	1442.03	8230
6	हिमाचल प्रदेश	13.40	2							13.40	2
7	जम्मू और कश्मीर	318.75	125			90.00	50			408.75	175
8	झारखंड	1.60	2	1000.00	10750					1001.60	10752
9	कर्नाटक	2316.94	1905			792.14	1109			3109.08	3014
10	केरल	269.71	169			29.05	23			298.76	192
11	मध्य प्रदेश	3360.10	5685							3360.10	5685
12	महाराष्ट्र	37.27	822							37.27	822
13	मणिपुर	62.37	65							62.37	65
14	मेघालय	4485.43	35016							4485.43	35016
15	मजोरम	3324.18	1399							3324.18	1399
16	नागालैंड	1098.72	48240							1098.72	48240
17	ओडिशा	126.65	202	1667.79	22029	219.98	250			2014.42	22481
18	राजस्थान	1985.18	2414							1985.18	2414
19	सिक्किम	82.11	21							82.11	21
20	तमिलनाडु	12.50	1609							12.50	1609
21	तेलंगाना	273.00	442	5086.23	12623					5359.23	13065

22	त्रिपुरा	2134.35	1000					81.93	56	2216.28	1056
23	उत्तराखंड	6.15	2							6.15	2
24	उत्तर प्रदेश	1.55	4							1.55	4
25	पश्चिम बंगाल			231.20	2042	6.35	35	38.09	12	275.64	2089
	कुल	22346.15	107815	13183.45	60188	1137.52	1467	122.88	69	36790.00	169539

**18.12.2025 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3052 के उत्तर के भाग (ख) और (ग) में संदर्भित अनुलग्नक
एनएसटीएफडीसी योजनाओं के तहत निधि वितरण और लाभार्थी - 2021-22**

(राशियाँ लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	सावध ऋण		एमसीएफ		एएमएसवाई		एसआरवाई		कुल	
		राश	लाभार्थियों की सं.	राश	लाभार्थियों की सं.	राश	लाभार्थियों की सं.	राश	लाभार्थियों की सं.	राश	लाभार्थियों की सं.
1	आंध्र प्रदेश	127.19	6	1000.00	2000					1127.19	2006
2	अरुणाचल प्रदेश	248.65	103	565.36	8040					814.01	8143
3	असम									0.00	0
4	बिहार	11.48	955							11.48	955
5	छत्तीसगढ़	1098.16	565	225.00	500	74.06	41	1.77	1	1398.99	1107
6	गुजरात	2022.50	11053							2022.50	11053
7	हिमाचल प्रदेश	14.00	2							14.00	2
8	जम्मू और कश्मीर	1273.75	361			86.40	48	2.72	1	1362.87	410
9	झारखंड	22.00	853	1400.00	14670					1422.00	15523
10	कर्नाटक	1250.15	812			119.16	150			1369.31	962
11	केरल	432.29	216			205.01	220			637.30	436
12	मध्य प्रदेश	2755.00	2373							2755.00	2373
13	महाराष्ट्र	209.06	7408							209.06	7408
14	मेघालय	694.81	1883							694.81	1883
15	मजोरम	4496.77	10108	953.91	6170					5450.68	16278
16	नागालैंड	693.36	48257							693.36	48257
17	ओडिशा	59.20	146	2398.72	29880					2457.92	30026
18	राजस्थान	508.60	588							508.60	588
19	सर्विकम	62.56	16							62.56	16
20	तमिलनाडु	15.00	1609							15.00	1609

21	तेलंगाना	111.55	1855	3000.00	7500					3111.55	9355
22	त्रिपुरा	500.00	2143					80.26	53	580.26	2196
23	पश्चिम बंगाल			517.05	4406	14.64	105	42.23	4	573.92	4515
	कुल	16606.08	91312	10060.04	73166	499.27	564	126.98	59	27292.37	165101

**18.12.2025 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3052 के उत्तर के भाग (ख) और (ग) में संदर्भित अनुलग्नक
एनएसटीएफडीसी योजनाओं के तहत निधिसंवतरण और लाभार्थी - 2022-23**

(राशिलाखमें)

क्र.सं.	राज्यका नाम	सावध ऋण		एमसीएफ		एएमएसवाई		एसआरवाई		कुल	
		राश	लाभार्थीकी सं.	राश	लाभार्थीकी सं.	राश		राश		लाभार्थीकी सं.	राश
1	आंध्र प्रदेश	119.8	3669	4000	10000					4119.80	13669
2	अरुणाचल प्रदेश	488.52	375	211.38	1460					699.90	1835
3	छत्तीसगढ़	293.11	1216					2.58		295.69	1216
4	गुजरात	1017.5	5223					2.08	1	1019.61	5224
5	हिमाचल प्रदेश	48.9	100			8	20			56.90	120
6	जम्मू और कश्मीर	1092.5	335			180	200			1272.54	535
7	झारखंड	3	756							3.00	756
8	कर्नाटक	1582.4	1927							1582.42	1927
9	केरल	383.13	225	85	175	252.6	266			720.73	666
10	मध्य प्रदेश	5392.1	10857							5392.05	10857
11	महाराष्ट्र	360.29	965	103.5	23	194.4	216			658.19	1204
12	मणपुर	25	57							25.00	57
13	मेघालय	470.6	1227							470.60	1227
14	मजोरम	5121.7	3044	174.06	540					5295.74	3584
15	नागालैंड	20.39	1							20.39	1
16	ओडिशा	63.19	4337							63.19	4337
17	राजस्थान	789.35	1856							789.35	1856
18	तमिलनाडु	1087.1	3403							1087.13	3403
19	तेलंगाना	83.99	611	4500	11250					4583.99	11861
20	त्रिपुरा							48.02	20	48.02	20
21	उत्तराखंड	81.42	244							81.42	244
22	पश्चिम बंगाल	745.94	1747	790.5	6540	9.09	80	97.81	26	1643.34	8393
		19269.98	42175	9864.44	29988	644.09	782	150.49	47	29929.00	72992

18.12.2025 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3052 के उत्तर के भाग (ख) और (ग) में संदर्भित अनुलग्नक

एनएसटीएफडीसी योजनाओं के तहत निधि वितरण और लाभार्थी - 2023-24

(राशियाँ लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	सावध ऋण		एमसीएफ		एएमएसवाई		एएसआरवाई		कुल	
		राश	लाभार्थियों की सं.	राश	लाभार्थियों की सं.	राश	लाभार्थियों की सं.	राश	राश	लाभार्थियों की सं.	राश
1	आंध्र प्रदेश	251.49	4900	5300.00	22321					5551.49	27221
2	अरुणाचल प्रदेश	25.77	13							25.77	13
3	असम	40.02	43							40.02	43
4	बिहार	3.06	3							3.06	3
5	छत्तीसगढ़	226.42	503					0.87		227.29	503
6	दादरा और नगर हवेली	4.55	6							4.55	6
7	गुजरात	2810.12	11848							2810.12	11848
8	गोवा	0.22	1							0.22	1
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	0					2.19	2	2.19	2
10	जम्मू और कश्मीर	270.90	93			23.40	13	0.89	0	295.19	106
11	झारखंड	532.97	571			150.00	1131	1.28	1	684.25	1703
12	कर्नाटक	853.41	1003							853.41	1003
13	केरल	199.84	74	26.90	20	220.00	164			446.74	258
14	मध्य प्रदेश	1759.58	828							1759.58	828
15	महाराष्ट्र	1905.22	1291	319.50	71	298.8	166			2523.52	1528
16	मणिपुर	235.49	174							235.49	174
17	मेघालय	475.91	1193							475.91	1193
18	मजोरम	6856.69	4573							6856.69	4573
19	नागालैंड	1199.77	771							1199.77	771

20	ओ डशा	362.35	17025							362.35	17025
21	राजस्थान	712.22	885							712.22	885
22	सक्कम	34.23	27							34.23	27
23	त मलनाडु	3264.21	7326					1.46	1	3265.67	7327
24	तेलंगाना	718.52	5119	2500.00	6250					3218.52	11369
25	त्रिपुरा	1906.27	2181			36.00	20	72.35	33	2014.62	2234
26	उत्तराखंड	32.59	8							32.59	8
27	उत्तर प्रदेश	3.37	4							3.37	4
28	पश्चिम बंगाल	95.06	1529	1327.60	2596	14.62	334	89.31	27	1526.59	4486
		24780.25	61992	9474.00	31258	742.82	1828	168.35	64	35165.42	95142

18.12.2025 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3052 के उत्तर के भाग (ख) और (ग) में संदर्भित अनुलग्नक

एनएसटीएफडीसी योजनाओं के तहत निध संवतरण और लाभार्थी - 2024-25

(राश लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	सावध ऋण		एमसीएफ		एएमएसवाई		एसआरवाई		कुल			क्र. सं.	
		राश	लाभार्थियों की सं.	राश	लाभार्थियों की सं.	राश		राश		लाभार्थियों की सं.	राश	लाभार्थियों की सं.	राश	
1	आंध्र प्रदेश	24.22	15	6000.00	12000			14.99	884			6039.21	12899	
2	अरुणाचल प्रदेश	17.88	17									17.88	17	
3	असम	24.24	21									24.24	21	
4	छत्तीसगढ़	417.43	242					82.00	4595			499.43	4837	
5	गुजरात	4896.39	14641					35.00	3820			4931.39	18461	
6	हिमाचल प्रदेश	24.90	22			4.00	10			1.7	1	30.60	33	
7	जम्मू और कश्मीर	1080.00	397			21.60	12			0.89		1102.49	409	
8	झारखंड	246.26	135							1.19		247.45	135	
9	कर्नाटक	1854.44	1368									1854.44	1368	
10	केरल	426.10	229	111.90	232	146.80	106					684.80	567	
11	लद्दाख	73.53	13									73.53	13	
12	मध्य प्रदेश	1640.72	964					20.00	618			1660.72	1582	
13	महाराष्ट्र	450.97	110	36.00	8	64.8	36	15.99	833			567.76	987	
14	मणिपुर	102.80	65									102.80	65	
15	मेघालय	298.09	112									298.09	112	
16	मजोरम	6948.28	3529									6948.28	3529	
17	नागालैंड	627.08	282									627.08	282	
18	ओडिशा	572.20	571	26.29	24			285.07	14450			883.56	15045	

19	राजस्थान	114.16	106					16.00	985			130.16	1091
20	सर्विकम	201.63	46									201.63	46
21	त मलनाडु	1130.39	1909					80.00	4528			1210.39	6437
22	तेलंगाना	169.31	247	5000.00	10000			5.00	530			5174.31	10777
23	त्रिपुरा	1561.87	503							134.11	66	1695.98	569
24	उत्तराखंड	53.82	12					31.99	616			85.81	628
25	उत्तर प्रदेश	1.92	2									1.92	2
26	पश्चिम बंगाल	982.51	327	1067.72	6945	67.10	229	45.00	1306	71.42	21	2233.75	8828
		23941.14	25885	12241.91	29209	304.30	393	631.04	33165	209.31	88	37327.70	88740